न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः–47/19 निर्णय दिनांकः–26.02.2021

1 श्री कल्याण पिता मंगला रोत मीणा निवासी झौथरी फला कंथारा, पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री वीरमदेव पिता थावरचंद खराडी मीणा निवासी झौथरीफला कंथारा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्रीमती लक्ष्मी पत्नि वीरमदेव खराडी मीणा निवासी झौथरीफला कंथारा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री रमेश पिता नाथू खराडी मीणा निवासी झौथरीफला कंथारा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध निर्माण हटाने बाबत

धारा 88, 188 रा.टी. एक्ट,

परिस्थत :–श्री विरेन्द्रसिंह चौहान वादी की ओर से

श्री श्रवण रावल प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गांव झौथरी तहसील झौथरी जिला डूंगरपुर का रहने वाला है। वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की कृषिभुमि मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3.16 बीघा जमीन दर्ज रिकॉर्ड है। वादी उक्त जमीन पर शांतिपुर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इस जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अथवा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या अधिकार नहीं है। वादी के उक्त जमीन से अपना रिहायशी मकान एक किलामीटर की दुरी पर है एवं प्रतिवादीगण का मकान वादी की जमीन के नजदीक है इस कारण वह आये दिन वादी के खाते की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास में रहते है। कल दिनांक 02.07.2019 को वादी अपने खेत कडाई वाला बाडा खसरा नम्बर 284 रकबा 1.18 बीघा जमीन में उडद की बुवाई करने गया तो उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कजा कर मकान निर्माण करीब 4–5 फीट उंचाई तक होना पाया, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से पुछताछ करने पर गाली गलोच करते हुए कहने लगे की हमारा मकान तेरी जमीन के पास है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 2 पर

इसलिए हक कब्जा कर जमीन पर मकान का पुरा निर्माण कर लेगे यह हमें रोकने की कोशिश की तो मारकर इसी जमीन में फेंक देंगे। वादी अपने खाते की उक्त जमीन से थोडी दुरी पर निवास करता है। 10–15 दिन में इन खेतों पर देखरेख हेंतु जाता है इसी का नाजायज फायदा उठाकर 7–8 दिन में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादी की जमीन में प्रवेश कर अतिक्रमण करने की नियत से मकान निर्माण शुरू कर दिया, जिसे तत्काल रूकवाने एवं अवैध निर्माण को हटवाने का वादी हकदार है। वाद वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी नम्बर 284 रकबा 1.18 बीघा पर अतिक्रमण करने की गरज से मकान निर्माण शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी दिनांक 02.07.2019 को वादी उडद की बुवाई करने गया तब होने पर उसने प्रतिवादीगण से अवैध अतिक्रमण का ऐतराज करने पर प्रतिवादीगण द्वारा झंगडा फिसाद करने पर वादी को अपनी जमीन से बेदखल करने तथा मकान निर्माण नहीं रोकने की चेतावनी देने से प्रत्येक दिन पैदा होता है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि वाद पेश करने तक प्रतिवादीगण खसर नम्बर 284 में जो भी अवैध निर्माण किया है उसे हटाने तथा दौराने वाद भी निर्माण कर लिया जाता है तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से ध्वस्त कराये जाने के आदेश फरमावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने जवाब बंद किया गया। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री कल्याण पिता मंगला रोत जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी झौथरी फला कंथारा तहसील झौथरी जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 पीडब्लयु–2– श्री नाना पिता फुला जी रोत जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी झौथरी जिला डूंगरपुर राजस्थान।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2075–2078 की हाल जमाबंदी

2 प्रदर्श– 2 नक्शा ट्रेस मौजा झौथरी

उक्त बयानो मे बताया की पीडब्लु–1 वादी ने वादी गांव झौथरी तहसील झौथरी जिला डूंगरपुर का रहने वाला है। वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की कृषिभुमि मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3.16 बीघा जमीन दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपने खेत कडाई वाला बाडा खसरा नम्बर 284 रकबा 1.18 बीघा जमीन में उडद की बुवाई करने गया तो उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण करीब 4–5 फीट

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उंचाई तक होना पाया, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से पुछताछ करने पर गाली गलोच करते हुए कहने लगे की हमारा मकान तेरी जमीन के पास है। जिस अवैध निर्माण किया गया है। पीडब्लयु–2 ने बयानो में बताया कि वादी का पडौसी होकर निवास करता आ रहा है। वादी की भुमि के पास प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है वादी को कब्जे काश्त की भुमि खसरा नम्बर 284 रकबा 1.18 बीघा भुमि पर वादी के साथ उडद की बुवाई करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण चालु कर दिया। प्रतिवादी को मना करने पर प्रतिवादीगण मरने मारने को उतारू हो गया है जबकि वादी वर्षो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को वादी के साक्षीयो से जिरह का अवसर दिया गया लेकिन जिरह से इन्कार किया जिससे जिरह बन्द की तथा प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नही करना चाहा जिससे प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद की गई।

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर डूंगरपुर को दिनांक 07.08.2019 को प्रस्तुत कर न्यायलय में विचाराधीन मामले में तत्वरित सुनवाई करने गुहार की गई थी। जिस पर उपखंड कार्यालय सीमलवाडा से राजस्व/2019/993 दिनांक 20.08.2019 को श्री मान जिला कलक्टर को उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पर तहसीलदार झौथरी को विवादित भुमि की मौका जांचकर रिपोर्ट भिजवाने आदेश जारी किया गया था।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी गांव झौथरी तहसील झौथरी जिला डूंगरपुर का रहने वाला है। वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की कृषिभुमि मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3.16 बीघा जमीन दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपने खेत कडाई वाला बाडा खसरा नम्बर 284 रकबा 1.18 बीघा जमीन में उडद की बुवाई करने गया तो उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण करीब 4–5 फीट उंचाई तक होना पाया, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से पुछताछ करने पर गाली गलोच करते हुए कहने लगे की हमारा मकान तेरी जमीन के पास है। जिस अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे में वादी की खातेदारी में किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर कब्जा सुपुर्द किया जावे। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वे मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3. 16 बीघा मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो स्वय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 2 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है।

क्रमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। तथा गवाहों के साक्ष्य यह साबित होता है। कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी नम्बर 284 में जबरन कब्जा कर अवैध मकान निर्माण कार्य किया गया है। तथा मौके पर विवाद करते रहते है तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है जबकि प्रतिवादीगण ने ना तो जवाब प्रस्तुत किया ना ही ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक या कब्जा हो ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3. 16 बीघा मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। मौजा झौथरी खसरा नम्बर 284 में अवैध अतिकमण व मकान निर्माण पाया जाता है तो तहसीलदार झौथरी मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जावे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3. 16 बीघा मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। मौजा झौथरी खसरा नम्बर 284 में अवैध अतिकमण व मकान निर्माण पाया जाता है तो तहसीलदार झौथरी मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जावे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री कल्याण बनाम श्री वीरमदेव वगैरह

वादबाबतः–_दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध निर्माण हटाने बाबत धारा 88, 188 रा.टी. एक्ट

मुकदमानम्बरः–47/2019

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरीः–श्री विरेन्द्रसिंह चौहान मिनजानिब मुदई श्रवण रावल व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

मौजा झौथरी में ही स्थित खतोनी नम्बर 19 के जमाबंदी खतौनी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 169, 215, 283, 284 कुल खेत किता 4 रकबा 3.16 बीघा मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। मौजा झौथरी खसरा नम्बर 284 में अवैध अतिकमण व मकान निर्माण पाया जाता है तो तहसीलदार झौथरी मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिकमण को ध्वस्त किया जावे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 26.02.2021 को जारी की गई

दस्तखत. उपखंड अधिकारी

ओहदा . . सीमलवाडा

मुदई	रूपया / पैसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
थमजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा